**न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर**

**अपील / सीलिंग / 2494 / 2006 / बूँदी**

1—श्रीमति कंचनबाई बेवा छोटू

2— बाबूलाल शर्मा

3— हनुमानशर्मा

4— चंदाबाई

5— गीताबाई

6— हेमलता बाई

7— कलावती बाई

पुत्र / पुत्रियां स्व.0 छोटू सभी जाति ब्राह्मण निवासी जयथाल,तहसील के0पाटन जिला बून्दी ।

अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार के0पाटन जिला बून्दी।

रेस्पोडेण्ट

**एकल पीठ**

**डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य**

**उपस्थित**

श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री ज्ञानी सिंह रावत, उप राजकीय अभिभाषक

**निर्णय**

दिनांक : 10—12—2024

यह अपील राजस्थान कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 23 (2—ए) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, (सीलिंग ) बून्दी के निर्णय दिनांक 10—4—2006 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि सहायक जिलाधीश, बून्दी ने निर्णय दिनांक 11—5—76 के द्वारा अप्रार्थी की 6.9 स्टेन्डर्ड एकड भूमि अधिग्रहण के आदेश दिए । तत्पश्चात राज्य सरकार के जानकारी करने पर

ज्ञात हुआ कि पिता एवं पुत्रों के बीच हुए बंटवारे की जांच धारा 53 के अनुसार नहीं होने से राजस्थान सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के तहत प्रकरण को रिओपन कर पुनः निर्णय हेतु अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), बून्दी को प्रकरण भिजवाया गया। जिस पर उन्होंने प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थी रेस्पोडेंट का नोटिस जारी करने पर प्रत्यर्थी रेस्पोडेंट ने जवाब प्रस्तुत किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने उभय पक्ष की साक्ष्य व सुनवाई के बाद अपने निर्णय दिनांक 10–4–2006 के द्वारा 29.35 स्टे0 एकड भूमि सीलिंग सरप्लस घोषित की जाकर अधिग्रहण कर कब्जे राज लेने के आदेश तहसीलदार को भूमि सिवाय चक दर्ज नामान्तरकरण की कार्यवाही करने के आदेश पारित किए । अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), बून्दी के उक्त निर्णय के विरूद्व यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस में तर्क दिया कि अतिरिक्त जिला कलेक्टर का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड से परे है, क्योंकि कानूनी प्रावधानों के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण का रिव्यू करने का अधिकार नहीं था । दिनांक 11–5–76 को सहायक जिलाधीश द्वारा नये सीलिंग कानून के तहत रिव्यू के पश्चात् आदेश पारित किया था । जिसे विहित प्रावधानों के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान सीलिंग अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के तहत प्रकरण को रिओपन के आधार पर प्रकरण में विधिविरूद्ध आदेश पारित किया । यदि सरकार सहायक जिलाधीश के निर्णय से व्यथित थी, तो उसे अपील में जाना चाहिए। लेकिन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित आदेश को रिव्यू कराने का अधिकार नहीं है । पिता पुत्रों की सम्पत्ति का विवाद था, जिसे बिना किसी आधार पर सीलिंग प्रकरण में अधिग्रहण करने के आदेश पारित किए। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थी द्वारा धारित की जाने वाली आराजी की जांच नहीं कर सरसरी तौर पर उसके पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि मानकर अधिग्रहण के आदेश पारित करने में त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार करते अतिरिक्त जिला कलेक्टर का निर्णय दिनांक 10–4–2006 को निरस्त किया जावे।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक का बहस में कथन किया कि राज्य सरकार द्वारा प्रकरण रिओपन कर सीलिंग सीमा से भूमि अधिक पाये जाने के कारण ही अधिग्रहण कर भूमि सिवाय चक दर्ज करने के आदेश पारित किए

हैं। ऐसे विधिसम्मत आदेश में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । अतः द्वितीय अपील खारिज की जावे ।

6. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

7. हस्तगत प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक प01(373)राज/सी/79/दिनांक 3–6–82 के द्वारा सहायक जिलाधीश, बून्दी के निर्णय दिनांक 11–5–76 द्वारा अपीलाण्ट की भूमि में से 6.9 स्टे0 एकड भूमि अधिग्रहण के आदेश दिए । तत्पश्चात राज्य सरकार के ध्यान में आने पर पिता एवं पुत्रों की सम्पत्ति का धारा 53 के तहत विभाजन नहीं होने और परिवार के सदस्यों की उम्र के बारे में छानबीन नहीं करने के कारण राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 की धारा 15(2) के तहत जिलाधीश, बून्दी को निर्देश दिए कि कथित सीलिंग प्रकरण को पुनः खोलकर वर्णित बिन्दुओं की जांच कर पुनः निर्णय पारित करें। उक्त आदेश के क्रम में अपीलाण्ट को नोटिस दिए जाने पर उन्होंने 3–6–85 को नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलाण्ट के खाते मे जितनी भी भूमि है, वह पैतृक सम्पत्ति है एवं बंटवारे का दावे के द्वारा डिक्री भी प्राप्त की जा चुकी है एवं पैतृक सम्पत्ति में जन्म से अधिकार होने से प्रार्थी के परिवार में कुल 11 सदस्य हैं इनमें से अपीलाण्ट का पुत्र बाबूलाल व हनुमानप्रसाद प्रार्थी से अलग रह रहे हैं, इस कारण से सीलिंग से प्रभावित नहीं है । उक्त प्रकरण में छोटूलाल के उत्तराधिकार बाबूलाल, हनुमान, कंचनबाई, गीताबाई पुत्री चन्दाबाई कलावती बाई, हेमलता बाई ने जबाव प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमिधारी का प्रकरण एक बार खोला जा चुका है एवं दुबारा खोलने का अधिकार राज्य सरकार नहीं है । सीलिंग प्रकरण से संबंधित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें से छोटूलाल के पुत्रों का जन्म से हक स्थापित हो चुका है । इस प्रकार प्रत्येक भूमिधारी के पास सीलिंग से कम भूमि है। भूमिधारी का पुत्र बाबूलाल 1–4–66 से पूर्व ही अपने पिता से अलग रह रहा है और वह छोटूलाल पर आश्रित नहीं था । अतः सीलिंग प्रकरण समाप्त किया जावे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10–4–2006 से यह माना है कि परिवार के सदस्यों की संख्या घोषणा पत्र के अनुसार छोटूलाल स्वयं, उसकी पत्नि कंचन बाई पुत्र बाबूलाल 13 वर्ष, गीता 8 वर्ष, चन्दी 3 वर्ष कुल 5 सदस्य बताये गए है । बाबूलाल की आयु प्रमाण पत्र

के अनुसार दिनांक 1–4–66 को 15 वर्ष मानकर अप्रार्थी के परिवार की सदस्य संख्या 5 होने से अप्रार्थी 1 यूनिट अर्थात् 30 स्टे0 एकड भूमि धारण करने का अधिकारी माना है । इस प्रकार दिनांक 1–4–66 को अप्रार्थी भूमिधारी के खाते में दर्ज भूमि 159 बीघा 12 बिस्वा स्टे0एकड की गणना के अनुसार अप्रार्थी भूमिधारी के पास दिनांक 1–4–66 को 59.35 स्टे एकड भूमि थी एवं परिवार की सदस्य संख्या 5 मानकर प्रति यूनिट 30 स्टे एकड भूमि रखने के कारण 29. 35 एकड भूमि सरप्लस घोषित की जाकर अधिग्रहण करने के आदेश तहसीलदार को देकर भूमि सिवाय चक दर्ज नामान्तरकरण के आदेश दिए हैं । हस्तगत प्रकरण में मुख्य विवाद पिता पुत्रों के बंटवारे का विवाद है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तोवजों की जांच के द्वारा पुत्र की आयु 15 वर्ष मानकर एक यूनिट धारण करने का अधिकारी मानकर परिवार के सदस्यों की संख्या 5 मानी है एवं उसी अनुसार गणना की है । अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा सभी दस्तावेजी साक्ष्यों एवं प्रमाण पत्रों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा प्रकरण को रिओपन किए जाने से विधिवत जांच कर भूमि सरप्लस घोषित की जाकर अधिग्रहण के आदेश पारित किए है। ऐसे विधिसम्मत आदेश में द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है । उक्त विवेचन व विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग)बून्दी द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–4–2006 में कोई ऐसी विधिक त्रुटि नजर नहीं आती है, जिसके आधार पर हस्तगत् अपील के माध्यम से उक्त निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके।

8. उक्त विवेचन के आधार पर अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

**( डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर )**

**सदस्य**